09/02/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी राज्य की और से पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री रणजीतसिंह निर्वाण उपस्थित। पक्षकारान के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली में बगौर देखा गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत आदेशिका के अधीन निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज ने अपनी बहस के दौरान प्रकरण के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम रोही हाडला भाटियान तहसील कोलायत स्थित आराजी खसरा नम्बर 46 तादादी 5.44 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी हाडला भाटियान तहसील कोलायत के धारण एवं खातेदारी की कृषि भूमि है। पटवारी हल्का हाडला भाटियान से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थी ने अपनी उक्त धारित भूमि मे से 0.50 हैक्टर में खनन कार्य बिनी किसी सक्षम स्वीकृति से किया जा रहा है जो अवैध कार्यवाही है। भूमि मे अवैध खनन कार्य करने के परिणामस्वरूप कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने से कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तत हो गया है। जो भूमि के लिए हानीप्रद है। अतः भूमि जैर प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि राज्य के पक्ष में रिज्यूम की जाकर सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जा राज लिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी की और से उसका प्रतिनिधित्व श्री रणजीतसिंह निर्वाण एडवोकेट कर रहे है। इस प्रार्थना पत्र का कोई उतर अप्रार्थी द्वारा फाईल नही किया गया और इसलिए न्यायालय में दिनांक 21/07/2022 को जवाबदेही का अवसर बन्द कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

4. योग्य पैरोकारराज ने प्रार्थी के और से बहस के दौरान यह भी कथन किया कि चुकि प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों एवं का अप्रार्थी के उतर फाइल करके प्रतिवाद नही किया है। अतः प्रार्थना में पूर्व कथित कथनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी मंजूर किया जाना चाहियें।

5. दूसरी तरफ अप्रार्थी के लायक कौसिल ने निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर अनुशात नही की जा सकती कि प्रावधानों का उतर फाईल में नही किया गया। आपके अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये प्रकथन प्रत्यक्ष रूप से ही गलत है। और स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजती साक्ष्य से ही असतुष्ट है। तहसीलदार ने केवल हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18/02/2019 को तैयार की गयी रिपोर्ट के आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का लिया है। जबकि उक्त रिपोर्ट में ऐसे आधार एवं कारणों का उल्लेख नही है जिसके आधार पर अप्रार्थी की टिनेन्सी को ही समाप्त कर दिया जावें। तहसीलदार ने हल्का पटवारी के बयान नही लिये है जिसके आधार पर यह माना जावे कि भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया है। और ना ही प्रार्थना पत्र किसी शपथ पत्र फाइल कर उसका समर्थन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 177 की सही विषय वस्तु मे निष्पादित नही करती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार खारिज किया जाना चाहिए।

6. मैने उभय पक्ष के विद्वान काउसेंल के परस्पर विरोधी कथनों पर गंभीरता से विचार किया है मेरा यह विचार है कि अप्रार्थी के यौग्य अभिभाषक की बहस मे सार नहै क्योकि रिपोर्ट पटवारी में यह तथ्य नही आये कि अवैध खनन मे किस प्रकार का खनिज निकाला जा रहा है। मौके पर उपस्थित मिले मजदूरों से खनन सम्बधित कोई जॉच नही की गयी है। केवल यह अंकत कर देना कि अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे पर्याप्त सबूत नही माने जा सकते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार के शपथ पत्र से समर्दित ही नही किया गया है। जिसके आभाव में प्रार्थना पत्र में किये गये प्रकथनों पर विश्वास किया जा सकें। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी असफल होता और एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तहसीलदार कोलायत वास्तव में भूमि विवादित पर अवैध खनन होना मानते हे तो प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारों पर भविष्य में प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगे। इस निरस्तीकरण आदेश का उस कार्यवाही में कोई प्रतिकुल असर नही पडेगा। प्रार्थना पत्र का इस प्रकार निपटारा किया जाता है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2023 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर